भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2971
गुरुवार, 12 दिसंबर, 2024/21 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार (एमआरओ)

2971. डॉ. अमर सिंहः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विमानन क्षेत्र में रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार (एमआरओ) की प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश के विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई/की जा रही है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): सरकार ने विभिन्न नीतिगत, विनियामक और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से भारत में विमान अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवाओं की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) घरेलू अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) उद्योग और इसके परिणामस्वरूप विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि विमानों के कलपुर्जों, घटकों, परीक्षण उपकरणों, औजारों और टूल-किटों के आयात पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन 5% की एक समान दर से आईजीएसटी लागू होगा, चाहे उनके नामावली की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) वर्गीकरण कुछ भी हो।

ii. केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं के तहत, मरम्मत के लिए आयातित वस्तुओं के निर्यात की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है। साथ ही, वारंटी के तहत मरम्मत के लिए माल के पुनः आयात की समय-सीमा को तीन से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया है।

iii. दिनांक 1 सितंबर, 2021 को घोषित नए एमआरओ दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ रॉयल्टी को समाप्त करते हैं और एएआई हवाईअड्डों में एमआरओ के लिए भूमि आवंटन में पारदर्शिता और निश्चितता लाते हैं।

iv. दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ एमआरओ पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

v. विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम)/एमआरओ द्वारा घरेलू एमआरओ को उप-अनुबंधित किए गए संव्यवहार को दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से ज़ीरो-रेटेड जीएसटी के साथ 'निर्यात' माना जाता है।

vi. औजारों और टूल किटों पर सीमा शुल्क में छूट।

vii. कलपुर्ज़ों की सरलीकृत क्लीयरेंस प्रक्रिया।

viii. एमआरओ के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।

देश के विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जा रही कुछ अन्य पहलों में शामिल हैं:

i. राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 भारतीय विमानन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने का उद्देश्य रखती है, जिसमें इसके सभी उप-क्षेत्रों का विकास शामिल है।

ii. भारत सरकार ने 21 नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। इनमें से 12 ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डों अर्थात दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, कलबुर्गी, ओरवाकल (कुर्नूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोग्गा और हीरासर (राजकोट) का प्रचालन शुरू कर दिया गया है।

iii. नागर विमानन मंत्रालय ने देश में अपरिचालित तथा अल्पपरिचालित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने तथा जनसाधारण के लिए हवाई यात्रा किफ़ायती बनाने हेतु दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है। आज की तारीख तक, इस योजना के तहत 86 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों (13 हेलीपोर्टों और 2 वॉटर एयरोड्रोमों सहित) को जोड़ने वाले 609 मार्गों का प्रचालन शुरू कर दिया गया है। 2.86 लाख आरसीएस उड़ानों के माध्यम से 146 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने यात्रा की है।

iv. केंद्रीय सरकार ने दिनांक 25 अगस्त, 2021 को ड्रोन नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

v. देश में प्रशिक्षित पायलटों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने उदारीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) नीति प्रस्तुत की है, जिसके तहत हवाईअड्डा रॉयल्टी (एफटीओ द्वारा एएआई को राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान) की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और भूमि किराये को काफी युक्तिसंगत बनाया गया है।

vi. गिफ्ट सिटी में भारत के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के लिए बजट प्रोत्साहन के माध्यम से विमान पट्टे पर देने और वित्तपोषण के लिए अनुकूल वातावरण को सक्षम किया गया है।

*****